

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत 530 मुकाम बड़ीसादड़ी
नवावी सिट वनाम श्री गणेश कृष्ण
 किस्म मुकदमा 53 RTA नं. 53/2018 सन 2018

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
-------------	------------------------------------	---

18/5/18

राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार 2018 के तहत कैम्प कोर्ट बड़ीसादड़ी पर प्रार्थी द्वारा इस आशय का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 आर. टी. एक्ट के तहत पेश किया कि मौजा परबती के खतबे सं. 108
ख. सं. 126 रकबा 0.52 का
9.69 स. का विभाजन श्री के कनका
का 2 न भगुसा (राजस्व रिवाज में बरामाज)

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर वादी एवं प्रतिवादी को सुना गया। प्रतिवादी द्वारा कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई गई।

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि मौजा परबती के खतबे सं. 108 के निवादि
ख. सं. 126 र. 0.52 का विभाजन श्री कनका
किया जाय। ① नवावी सिट सं. 53 स्वस्व सिट राजपुर
126 स. र. 0.26 का सं. 4.94
② श्री गणेश कृष्ण सं. 53 परबती सिट राजपुर
126 स. र. 0.27 का सं. 4.75

इसी अनुसार डिक्री जारी की जाकर पालना हेतु तहसीलदार बड़ीसादड़ी को लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।



[Handwritten signature]